दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, गुरूवार 21 नवम्बर 2019

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

कर्मचारी की सुरक्षा में लापरवाही, प्लांट प्रबंधन पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत सिंघल प्लांट, तराईमाल में दिनांक 13.11.19 को रात्रि शिफ्ट ड्यूटी में कार्य कर रहे क्रेन मशीन आपरेट कृष्णा अगरिया उम्र 22 वर्ष की रात्रि करीब 09.30 बजे फर्नीश क्रायल (भट्ठी) में अचानक विस्फोट हो जाने से मेटेरियल छिटक कर कृष्णा अगरिया (मृतक) को लगा जिसे काफी चोट आई और वह काफी जल गया। ईलाज के लिये कृष्णा अगरिया को रायगढ़ अस्पताल ले गये जहां डाक्टर ने उसे मृत बताया। घटना के संबंध में थाना पूंजीपथरा के मर्ग क्रमांक 49/19 धारा 174 जा.फौ. की जांच में मृतक की मौत कारखाना प्रबंधक संचालक एवं अन्य द्वारा फैक्ट्री के मशीनी उपकरण के देख रेख में लापरवाही बरतने एवं कार्यरत कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा सामाग्री प्रदाय नही करने से दुर्घटना होने से आई चोट से होना पाये जाने पर अप.क्र. 221/19 धारा 287,304 (ए) आईपीसी का अपराध सिंघल प्लांट प्रबंधक संचालक एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

बिक्री के लिये गांजा के साथ युवक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक हुलस राम जायसवाल एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 19.11.19 को मुखबिर सूचना पर ग्राम पलगड़ा के बड़े नहर पुल के पास आरोपी रूपेन्द्र कुमार उर्फ विराट उर्फ लाल साहू पिता भीम लाल साहू उम्र 19 वर्ष साकिन आड़िल थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा को अवैध रूप से बिक्री के लिये पकड़ा हुआ 700 ग्राम मादक प्रदार्थ गांजा के साथ पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क. 495/19 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

बाजार से मोटरसायकल की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया में रहने वाले रमेश्वर राठिया उम्र 19 साल द्वारा मोटर सायकल चोरी की रिपोर्ट दिनांक 20.11.19 को कराया गया है, रिपोर्तकर्ता ने बताया कि दिनांक 31.10.2019 को शाम करीब 7:30 बजे अपने भाई परदेशी राठिया के मोटर सायकल एचएफ डिलक्स में ग्राम चोंढा से सब्जी भाजी खरीदने खरसिया लेने जा रहा था। रास्ते में एक अन्जान व्यक्ति के लिफ्ट मांगने पर मोटर सायकल में बिठाकर मंगल बाजार खरसिया तक लाया और भूलवश मोटर सायकल की चाबी मोटर सायकल पर छोड़कर सब्जी लेने चला गया। वापस आया तो उसकी मोटर सायकल नहीं थी। इसे शंका है कि लिफ्ट लेकर आया व्यक्ति ही मोटर सायकल की चोरी कर भाग गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 496/19 धारा 379 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पुसौर क्षेत्र के स्कूलों में महिला रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महिला रक्षा टीम रायगढ़ द्वारा दिनांक 20/11/19 को थाना पुसौर क्षेत्रान्तर्गत आदर्श ग्राम्य भारती उ.मा.वि., शा.कन्या हाई स्कूल पुसौर, शा.उ.मा.वि.पुसौर, अभिनव उ.मा.वि. पुसौर, आर्य वि. सागर उ.मा.शा.पुसौर में छात्राओं को बच्चों को प्राप्त विशेष अधिकार यौन अपराधों की जानकारी एवं उनके बचाव के उपाय तथा वर्तमान में मोबाइल व इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों की जानकारी दी गई। महिला सेल की प्रभारी टी आई संतोषी महिला प्रधान आरक्षक मंजू महिला आरक्षक इन्दू लता, अराधना आनंद कार्यक्रम के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक छात्र, छात्राओं को पॉस्को एक्ट, सायबर अपराधों की जानकारी व गुड टच बैड टच की जानकारी दिया गया। उन्होंने फेसबुक, व्हाटसअप के जरिये हो रहे अपराधों की जानकारी देते हुये बचाव के उपाय बताये एवं सावधानी बरतने को बोले। महिला सेल द्वारा बच्चों को हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम 100 के बारे में बताया गया है।

सभी साथ मिलकर जुट जायें डेंगू रोकथाम में-स्वास्थ्य सचिव

निहारिका बारिक सिंह ने सभी अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती निहारिका बारिक सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर रायगढ़ पहुंची। सर्वप्रथम कलेक्टर यशवंत कुमार के साथ मेडिकल कालेज तथा जिला चिकित्सालय रायगढ़ के निरीक्षण में पहुंचकर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना तथा चिकित्सकों को कहा कि डेंगू पाजिटिव मरीज का इलाज के साथ-साथ फ्लुईड मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। जिससे पीड़ितों को डिहाईड्रेशन न हो और वे जल्दी ठीक हो सके। पैथालॉजी विभाग का निरीक्षण कर वहां ब्लड बैंक में उपलब्ध ब्लड यूनिट की जानकारी ली तथा कमी होने पर स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रास तथा एनजीओ के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित कर ब्लड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रखने को कहा। उन्होंने मेडिकल कालेज तथा अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा दवाईयों के स्टॉक के आवश्यक मात्रा में खरीदी करने व उचित तापमान पर भण्डारण के निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए।

सचिव स्वास्थ्य श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक में सभी विभाग के जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की गहन समीक्षा की तथा बारी-बारी सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को जाना। उन्होंने कहा कि डेंगू के नियंत्रण में नगर निगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः निगम आयुक्त सुनियोजित तरीके से निगम क्षेत्र में साफ-सफाई, कचरे का उठाव, फागिंग कार्य करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले 15 दिनों में पानी की टंकियों की सफाई भी करवायें। डेंगू के लार्वा पाये जाने वाले चिन्हित वार्डो में उक्त गतिविधियां प्राथमिकता से करें। सीएमएचओ से कहा कि निगम क्षेत्र के प्रत्येक घरों में सर्वे के लिए गठित टीम के लिए सुपरवाईजर नियुक्त करें तथा सर्वे डाटा एवं शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों में डेंगू के मरीजों के अद्यतन संख्या की जानकारी को संधारित करें। उन्होंने रेपिड टेस्ट की दर 250 रुपए नियत करने तथा प्रत्येक चिकित्सालयों में डेंगू वार्ड निर्मित कर डेंगू पीड़ितों के लिए बिस्तर आरक्षित करने के निर्देश भी दिए। प्रत्येक घरों में टेमीफास का वितरण तथा उसके उपयोग की निर्देशिका का वितरण करने को कहा। आगे उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों की जागरूकता व उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। अतः आईईसी अर्थात इन्फार्मेशन एजुकेशन व कम्युनिकेशन की गतिविधियां बढ़ाने के लिए भी कहा। जिसके तहत मेडिकल कालेज तथा नर्सिंग के छात्रों के द्वारा कम्युनिटी मेडिसीन व पब्लिक इन्टरेक्शन के द्वारा लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करें। साथ ही डेंगू रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे टेमीफॉस का उपयोग कैसे करें, फागिंग के समय घर के खिड़की एवं दरवाजे को बंद न किया जाए जैसे जानकारियां साझा करें। साथ ही वहां स्वच्छता मॉनिटर बनाने, कम्युनिटी प्रोग्राम, कला जत्था, एनजीओ, एनएसएस तथा स्काउट कैडेट्स के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। मोबाइल माईक यूनिट के माध्यम से भी वाईस कैम्पेन चलाकर लोगों डेंगू के प्रति जागरूक करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्ताओं, मितानिनों तथा ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से डेंगू रोकथाम की गतिविधियां चलाने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिए।

कलेक्टर ने डेंगू लार्वा सर्वे तथा साफ-सफाई का किया निरीक्षण

» अनावश्यक गंदगी फैलाने वालों को चिन्हांकित कर करें जुर्माना-कलेक्टर

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार आज रायगढ़ शहर के कैदीमुड़ा इलाके पहुंचकर डेंगू लार्वा के सर्वे तथा निगम द्वारा कराये जा रहे साफ-सफाई कार्यों का मुआयना किया। सर्वे कार्य के तहत एक घर में कुलर से लार्वा पाये जाने पर मकान मालिक को समझाते हुए कहा कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के कारक को आप अपने ही घर में संरक्षण दे रहे है जिससे आपका तथा आसपास रहने वाले परिवारों में डेंगू संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके रोकथाम के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अपने घरों में कूलर, फ्रीज, गमलों और रूके तथा जमे हुए पानी में टेमीफॉस की दवा का छिड़काव कर उस पानी को सूखे मिट्टी वाले स्थान पर फेंके। जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें।

अवैध धान के 57 प्रकरणों में जप्त हुआ 3680 क्विंटल धान

» अनियमितता पाये जाने पर तत्काल दर्ज हो रहे है प्रकरण

न्याय साक्षी /रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान के परिवहन व भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। जिसके तहत आज धरमजयगढ़ विकासखण्ड में सर्वाधिक दो प्रकरणों में 1077 बोरियों में अवैध रूप से परिवहन व भण्डारण करते 407 क्विंटल धान जप्त किया गया। इसी प्रकार सारंगढ़ में 127 बोरियों में 50.80 क्विंटल, बरमकेला में 133 बोरियों में 53 क्विंटल तथा पुसौर में अवैध रूप से परिवहन करते 150 बोरी में भरे 30 क्विंटल धान को जप्त किया गया। इस प्रकार अब तक जिले में अवैध धान के 57 प्रकरणों में 3680 क्विंटल धान जप्त कर मण्डी एक्ट एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए है। परिवहन करते हुए अब तक कुल 20 वाहन भी पकड़े जा चुके है। ज्ञात हो कि समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य तथा पुलिस विभाग को निर्देशित किया था कि अवैध धान परिवहन व भण्डारण के विरूद्ध पूरी गंभीरता व सजगता से कार्यवाही करें।

नाबालिक बालिका से कुकर्मः दो आरोपी पुलिस हिरासत में, एक और की तलास जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत 14 वर्षीय बालिका द्वारा दिनांक 18.11.2019 को थाना लैलूंगा में 03 युवकों द्वारा पिकनिक जाने के बहाने बहला-फुसलाकर लैलूंगा के लारीपानी डैम ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 260/19 धारा 363,366-ए,376,506 भादवि एवं 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता का मुलाहिजा बाद दो आरोपी को हिरासत में लिया गया है, एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लैलूंगा पुलिस की छापेमारी कार्यवाही जारी है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 17.11.2019 के सुबह बालिका के स्कूल वैन चालक मोबाइल से फोन कर बालिका को पिकनिक जाएंगे कहकर सुबह करीब 11:30 बजे लेने उसके घर आया और वैन में बिठाकर लारीपानी के लिए निकले, रास्ते में वैन चालक अपने दोस्त अजय (परिवर्तित नाम) को वैन में बिठाया। लारीपानी डैम के पास पहुंचने पर वैन चालक और उसके दोस्त अजय बालिका को जबरन जंगल तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए। शाम को बालिका को दोनों वैन में बिठाकर बीरसिंघा ले जा रहे थे, रास्ते में अजय वैन से उतर गया। स्कूल वैन चालक बालिका को वैन से बीरसिंघा लेकर गया। जहां उसके दोस्त संजय पैकरा से मिला। संजय पैकरा और स्कूल वैन चालक बालिका को बीरसिंघा में रात्रि एक झोपड़ी में दुष्कर्म किए और किसी को घटना की जानकारी नहीं देने के लिए बालिका को धमकाये। सुबह करीब 5:00 बजे बालिका को उसके घर के पास मेन रोड पर छोड़कर संजय पैकरा और स्कूल वैन चालक भाग गए। डरी सहमी बालिका काफी देर बाद अपने माता-पिता को घटना की जानकारी बताई जिसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना लैलूंगा में दर्ज कराया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक किरण गुप्ता अपने स्टाफ के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई। आरोपी संजय पैकरा पिता अनुसार पैकरा उम्र 34 साल निवासी बीरसिंघा को गिरफ्तार कर लिया गया था। तथा उसके दो साथी स्कूल वैन चालक व अजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही थी।

जिनकी पतासाजी थाना प्रभारी लैलूंगा एवं स्टाफ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुशील नायक के मार्गदर्शन में किया जा रहा था कि दिनांक 20-11-19 को मुखबीर के सूचना पर दूसरा आरोपी पुस्तम यादव को ग्राम कुंजारा बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी पुस्तम यादव पिता बुधराम यादव जाति रावत उम्र 32 साल सा0 घरघोडा हाल मुकाम शांती नगर लैलूंगा पर अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया आरोपी संतोष गुप्ता फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

जिले में एक साथ बन रहे है 100 गौठान, वन समितियां बनाएंगी चारागाह

गौठान में पशुओं के लिए किसान चारादान करने सहर्ष कर रहे है सहयोग

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के तहत रायगढ़ जिले के गौठानो का नवाचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि हमारे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से संपन्न बने। इसी कड़ी में गौठान का नवाचार के माध्यम से स्व-सहायता समूह के महिला को जोड़ा जा रहा है और यह कार्य कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के दिशा-निर्देश में निरंतर जारी है। जिले के 761 ग्राम पंचायत में पहले चरण में 114 गौठान को मॉडल गौठान बनाने की स्वीकृति मिली थी। इनमें 89 मॉडल गौठान सर्वसुविधायुक्त रुप में जिला में संचालित किए जा रहे है और गांव में गौठान बनने से किसान, ग्रामीणजन खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने मवेशियों के लिए चारा पानी के लिए चिन्ता करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रायगढ़ जिले में दूसरी कड़ी में गौठान दिवस और गोवर्धन पूजा के दिन 100 गौठानों का भूमिपूजन किया गया है। 354 एकड़ में लगभग 5 करोड़ की लागत से गौठान विकसित किया जा रहा है। इनमें ग्राम ननसिया के पुरूषोत्तम पटेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रामवासी अपनी स्वेच्छा से पशुओं के लिए पैराकुटी दान दे रहे है और किसानों ने स्वेच्छा से सहयोग के रूप में पशुओं के लिए 136 क्विंटल पैराकुटी चारा अब तक दे दिए है, जिससे दूसरे किसान भी प्रेरित होकर अपने खेतों से पशुओं के लिए पैराकुटी की सुविधा उपलब्ध करा रहे है। साथ ही दूरस्थ अंचल गांव में वन प्रबंधन समिति के सहयोग से पशुओं के लिए चारागाह की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

धरमजयगढ़ विकासखण्ड के किसान मोहन गबेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना से गांवों में गौठानो की पुरानी परम्पराओं को फिर लाने से किसानों की प्रसन्नता दुगनी हो गई है। गौठान में पशुओं की देखभाल के साथ नियमित उपचार भी किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के डाक्टरों द्वारा बीमार पशुओं का नियमित रुप से निःशुल्क ईलाज किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार गोवर्धन पूजा और गौठान दिवस मनाने की परंपरा की नई शुरुआत की गई। जल संरक्षण संवर्धन के लिए भी नरवा विकास के तहत किसानों को अपने खेतों में साग-सब्जी उत्पादन के लिए सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। साथ ही वन प्रबंधन समिति के सहयोग से गांव की स्व-सहायता समूह को भी जोड़ा जा रहा है और उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा रहा है।

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समयावधि में आंशिक संशोधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अर्हता तिथि दिनांक 1 जनवरी 2020 तथा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए समयावधि बढ़ा दी गई है। नवीन कार्यक्रम अनुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की पूर्व तैयारी तथा मतदान केन्द्रों की युक्तियुक्तकरण पूर्ण करने की अवधि 30 नवम्बर 2019 दिन शनिवार तक है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर 2019 को किया जाएगा। उक्त प्रारूप मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 16 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक है। प्रस्तुत दावा-आपत्तियों के निराकरण की अवधि 27 जनवरी 2020 तक होगी। तत्पश्चात पूरक सूची की तैयारी 4 फरवरी 2020 तक की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। उक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार जिले के मतदातागण अपने-अपने मतदान केन्द्रों में नाम जुड़वाने हेतु फार्म-6, किसी मतदाता का नाम विलोपन हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में यदि प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो उसमें संशोधन के लिए फार्म-8 तथा किसी एक से अन्य भाग में परिवर्तन हेतु फार्म-8 क भरकर संबंधित मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल आफिसर के पास जमा करा सकते है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.वी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480